जिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30012025-260633
SG-DL-E-30012025-260633

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2025/माघ 9, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 366
No. 31] DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946 [N. C. T. D. No. 366

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 जनवरी, 2025

फा. सं. 50(10)/डीसी/स्था0/2023/1314.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना फा0 संख्या 24/78/68—डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30.03.2005 की अधिसूचना फा0 संख्या 50(33)/2003/स्था0/पार्ट फाइल/8056के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सैंपल कैरियर के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :—
   (i) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, सैंपल कैरियर भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
   (ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की भाक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

औशधि नियंत्रणविभाग, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सैंपल कैरियर के पद हेतु भर्ती नियम

1.	**पदनाम**	:	**सैंपल कैरियर**
2.	**पदों की संख्या**	:	07* (2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह–ग, अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतनमान**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–3 (21700–69100/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–25 वर्ष* के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवार के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीप** :– आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना हो, तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य**:– किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। **टीप** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं**	:	लागू नहीं

	आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।		
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष **टीप :** सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए परिवीक्षा को पूर्ण करने हेतु प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित कम–से–कम दो सप्ताह का प्रेरण प्रशिक्षण अनिवार्य अनिवार्यतः सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति– 60 प्रतिशत सीधी भर्ती– 40 प्रतिशत
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	:	**पदोन्नतिः–** ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तरमान–1 (18000–56900/–रुपये) में मल्टी टास्किंग स्टाफ। **टीप :** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	**पदोन्नति/स्थायीकरण हेतु समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति** 1. प्रधान सचिव/सचिव (लो0नि0वि0) –**अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष –**सदस्य** 3. उप–सचिव (शह0वि0) –**सदस्य** **टीप :–** यदि विभागीय पदोन्नति समिति/स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति/स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राज कुमार, उप–सचिव

100|c

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 28th January, 2025

F. No. 50(10)/DC/Estt./2023/1314.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.24/78/68-DH(S) dated 24.09.1968 and in supersession of the Notification No. F. 50(33)/2003/Estt/Pt File/8056 dated 30.03.2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Sample Carrier in the Drugs Control Department, Govt. of N.C.T. of Delhi as following, namely:

1. **Short title and commencement-**

   (i) These rules may be called the Drugs Control Department, Sample Carrier Recruitment Rules, 2024

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, Classification and Scale of pay-** The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.

4. **Disqualification.-**No person,

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving-** Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Sample Carrier in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi.

Name of the Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Sample Carrier	07* (2024) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-'C', Non Gazetted,Non-Ministerial	Level 3 (Rs. 21700-69100)) in the Pay Matrix	Not applicable	Between 18-25* years (The upper age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note**: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Competent Authority *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 years and 27 years

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the posts to be filled by various methods
7	8	9	10
Essential: 12th Standard passed from a Recognised Board **Note**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified	Not applicable	Two years for Direct Recruits **Note**: Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration as prescribed by the Authority for completion of probation	Promotion – 60% Direct recruitment – 40%

In case of Recruitment by promotion/Deputation/Absorption grades from which promotion/Deputation/Absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Multi Tasking Staff in the scale of level 1 (Rs. 18000 – 56900) in the pay matrix with 6 years regular service in the grade **Note:** Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service	Group 'C' DPC for Promotion/ Confirmation: 1. Pr. Secretary/ Secretary (PWD) - **Chairperson** 2. Head of the Department concerned - **Member** 3. Deputy Secretary (UD) - **Member** **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee/ Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of Departmental Promotion Committee/ Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion/ Confirmation Committee	Consultation with UPSC is not necessary

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAJ KUMAR, Dy. Secy., (H&FW)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA